

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

राज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम बाप (फलोदी)**

जबरसिंह पुत्र देवीदानसिंह

**बनाम** अणदसिंह पुत्र मानसिंह वगैरा.

केसम् मुकदमा 188,92ए आर.टी.एक्ट

मु.नं.....91/2024.....सन्.....

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/2024	<p>वादी ने एक राजस्व वाद जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डॉक की जाकर मिसल वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक <u>21.10.2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>exp</i></p>	
31/2024	<p>आज श्रीमान ए.पी.एस. / एस.डी.एम साहब <u>अहकाम</u> पर हैं। पेशी इल्लवा को जाकर पत्रावली तारीख <u>21.10.2024</u> को पेश हो।</p>	
07/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील ने प्रतिवादी की तलबी से जुड़े पत्रों को दाखल की जा रही है। पेश की जा शामिल पत्रावली की मरी जरिये से.। की कोर से अधिवक्ता की करीमिई रातो. ने <u>07/10/24</u> पत्रावली वास्ते वकालतनामा/तलबी दिनांक <u>07.10.2024</u> को पेश की।</p>	<p><i>W.T. for Defendant</i></p>
10/2024	<p>वकील वादी के मिसल तलबी के अर्जन-फा पर फावली तलबी होकर आज पेश हुई। वकील वादी के अर्जन-फा वास्ते काय बिडे लेने का मत पेश किया तथा वाद-बची के लिये बिडे निदावासी करने का मत किया। वकील वादी के अर्जन पर वादी का वाद लिये बिडे मय रजिस्टर अर्जन-फा खारिज किया जावा है। फावली फेरल सुमात है। नम्बर के मक की जाकर दाखिल दफतर से जावे।</p>	<p>वाद वापस किया जावा है</p> <p><i>24/10/24</i></p>



सहायक कलेक्टर  
बाप (फलोदी)